भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2677

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पैकेज

2677. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह मानती है कि प्रतिवर्ष लाखों देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला ऐतिहासिक एवं धार्मिक शहर अमृतसर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपनी सामरिक स्थिति के बावजूद, किसी प्रमुख औद्योगिक आधार के अभाव तथा रोजगार के सीमित अवसरों के कारण आर्थिक रूप से अविकसित है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अमृतसर के लिए कोई विशेष औद्योगिक एवं व्यापार संवर्धन पैकेज तैयार करने का है, जबकि अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से सीमापार व्यापार निलंबित होने के कारण सीमावर्ती किसानों तथा युवाओं के लिए अवसर अत्यंत सीमित रह गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय रोजगार को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट होने के कारण बार-बार उत्पन्न होने वाले तनावों से प्रभावित इस क्षेत्र को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्र औद्योगिक गलियारे, पर्यटन से संबद्ध विनिर्माण इकाइयों तथा कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना पर विचार कर रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए अमृतसर को सीमावर्ती जिलों हेतु विशेष आर्थिक विजन योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): राज्य सरकारें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग नीतिगत उपाय अपनाती हैं। पंजाब सहित पूरे देश में उद्योग के समग्र विकास और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

विगत 4 वर्षों के दौरान, अमृतसर जिले को फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से 8,706 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 32,069 लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है। ये निवेश कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-आधारित उद्योगों (कृषि-अपशिष्ट प्रसंस्करण सहित), पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं।

पंजाब औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति, 2026 के तहत, अमृतसर सीमावर्ती जिले के रूप में वर्गीकरण के योग्य है। नीति में, यहां स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिए एक उन्नत वित्तीय प्रोत्साहन फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। इस फ्रेमवर्क के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों में पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट/प्रतिपूर्ति, भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) शुल्क में छूट, और विद्युत शुल्क में छूट, आदि प्रोत्साहन शामिल हैं, जो इस नीति के तहत निर्धारित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन हैं। अमृतसर में, पात्र इकाइयां 10 से 15 वर्षों की लचीली पात्रता अवधि के साथ, अधिकतम 500 करोड़ रुपए के अध्यधीन, पात्र निश्चित पूंजीगत निवेश (एफसीआई) के 125% तक की समग्र वित्तीय प्रोत्साहन सीमा का लाभ उठा सकती हैं (जो अन्य जिलों में उपलब्ध प्रोत्साहनों की सीमा से अधिक है)।

भारत सरकार ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के तहत 1,098.85 एकड़ के क्षेत्र के साथ राजपुरा-पटियाला में 1,367.72 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास को अगस्त, 2024 में अनुमोदन प्रदान किया है। आंतरिक मुख्य अवसंरचना कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नए शहरों हेतु परियोजना प्रबंधक (पीएमएनसी) और ईपीसी ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए हैं। डीपीआर के अनुसार, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर(एकेआईसी) के तहत राजपुरा-पटियाला में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) में लगभग 64,200 रोजगार सृजित करने की क्षमता है।

पंजाब औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति, 2026 कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और कृषि-अपशिष्टों को ऊर्जा/बायोएनर्जी/खाद में प्रसंस्कृत करने को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित करती है, जिसमें अमृतसर सहित सीमावर्ती जिलों में स्थापित पात्र इकाइयों के लिए उपलब्ध बढ़ी हुई वित्तीय सहायता शामिल है।

इसके अलावा, पंजाब खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2026 में पांच वर्ष की अवधि के लिए पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कच्चे माल की खरीद पर मंडी शुल्क/बाजार शुल्क/ग्रामीण विकास शुल्क और राज्य के

अन्य करों पर 100% छूट के साथ-साथ निर्धारित शर्तों के अध्यधीन 100% निवल एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं।

इस क्षेत्र में पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए पंजाब पर्यटन और आतिथ्य नीति, 2026 को भी अधिसूचित किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में संबद्ध विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार को उत्पन्न करने के लिए अमृतसर की पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना है।
